न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 313–एक/1991 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–1991 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 100/1990–91 अपील

1– मदनू 2– बुद्धी 3– किशनलाल
तीनों पुत्रगण केशरिया जाट्व
निवासी ग्राम पिपरघान तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– घन्सू पुत्र रामा 2– कु. पाना पुत्री रामा
दोनों निवासी ग्राम पिपरधान
तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना,म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 1–2– 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 100/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–9–1991 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार सवलगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत सामिलाती भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 15 वीघा 16 विसवा के बटवारे की मांग की। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 12/1987–88 अ 27 में

पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 7-5-90 से बटवारा करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 17/89-90 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 17-2-91 से नायव तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखते हुये अपील निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 100/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-1991 अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमि उभय पक्ष की संयुक्त भूमि है जिसके बटवारे का आवेदन अनावेदकगण व्दारा दिया गया है एंव नायव तहसीलदार ने बटवारा आवेदन पर प्रकरण क्रमांक 12/1987-88 अ 27 पंजीबद्ध कर उभय पक्ष की सुनवाई की है। जब पटवारी व्दारा मौके की स्थिति के मान से मौके पर फर्द तैयार कर मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षरित पंचनामे सहित प्रस्तुत की, अनावेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की है और आपत्ति आवेदन पर सुनवाई का उन्हें समुचित अवसर प्रदान किया गया है । उभय पक्ष के बीच वाद विचारित भूमि पर व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहा है जहां उनके पिता रामा का हिस्सा 1/6 माना गया है माननीय उच्च न्यायालाय तक यथावत् रहा है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है जिसके कारण नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7-5-90 से रिकार्ड में प्रवष्टि

R 313. I/1991

अनुसार बटवारा किया है और नायव तहसीलदार व्दारा किये गये बटवारे में किसी प्रकार की असमानता अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ व्दारा पारित आदेश दिनांक 27-2-91 एंव अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 30.9.91 में नहीं पाई है । परिणामतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती है एंव आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में किन कारणों से हस्तक्षेप किया जाय। अतएव तीन अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समरूप पाय जाने हस्तक्षेप की गुंजायशय नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 100/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-1991 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर